

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 205 / 14  
संस्थापन दिनांक:-28 / 03 / 14  
फाईलिंग नं. 233504004432014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. नीलेश पिता उदल गौली  
उम्र 30 वर्ष, निवासी कचरबोह,  
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. देवचंद पिता इंदल मेहरा  
उम्र 55 वर्ष, निवासी देहलवाड़ा,  
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. शब्बीर पिता शेख बसीर  
उम्र 45 वर्ष, निवासी रतेड़ाकला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा 11 डी, म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6/9 तथा म.प्र. कृषि पशु परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6/11 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.03.2014 को समय दोपहर करीब 03:00 बजे स्थान थाना आमला से 10 किमी. पूर्व में ग्राम लालावाड़ी स्थित आर.सी.एम. नरसरा के पास 12 बैलों को एक दूसरे से जकड़कर, बांधकर एवं उन्हें मारते पीटते ले जाते हुए उन्हें अनावश्यक पीड़ा व यातना कारित की एवं उक्त बैल जो कि गौवंश है, उनके वध के प्रयोजन से म.प्र. राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर होकर परिवहन किया तथा 12 बैल जो कि कृषि पशु हैं को म.प्र. पशु संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उनके वध के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर हांक कर परिवहन किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि थाना आमला में दिनांक 04.03.2014 को फरियादी चितरंजन की रिपोर्ट पर देहाती नालसी क्र. 0/14 इस आशय की दर्ज की गयी कि कुछ लोग मवेशी लेकर महाराष्ट्र तरफ कत्लखाने जा रहे हैं एवं मवेशियों को एक दूसरे से गाधा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हांकते हुए ले जा रहे हैं। तभी सभी लोगों ने मवेशी ले जाने वाले लोगों को रोका और उनसे नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम नीलेश एवं देवचंद बताया तथा मवेशियों को कत्लखाने ले जाना बताया। मौके से 12 नग गौवंश जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण नीलेश एवं देवचंद के विरुद्ध असल अपराध क्र. 192/14 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जप्तशुदा मवेशियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर 12 नग बैलों को एक दूसरे से जकड़कर, बांधकर एवं उन्हें मारते पीटते ले जाते हुए उन्हें अनावश्यक पीड़ा व यातना कारित की ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर उक्त 12 बैल जो कि गौवंश है, उनके वध के प्रयोजन से म.प्र. राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर होकर परिवहन किया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर 12 बैल जो कि कृषि पशु हैं को म.प्र. पशु संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उनके वध के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर हांक कर परिवहन किया। ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02 एवं 03 का निराकरण**

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 चितरंजन (अ.सा.-2), नरेश (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानते हैं। घटना के दिन ग्राम लालावाड़ी में पहाड़ी के उपर घास काट रहे लोगों ने कुछ लोगों को जानवर ले जाते हुए देखा। आवाज सुनकर जब वे पहाड़ी पर गये तो देखा कि लगभग 12-13 जानवर एक दूसरे से बंधे हुए थे। मौके पर केवल जानवर थे। जानवर ले जा रहे लोग भाग चुके थे। थोड़ी देर बाद पुलिस आयी थी और कुछ कागजों पर लिखापढ़ी कर उनके हस्ताक्षर लिए थे। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

7 नारायण (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह काम से लौट रहा था। उसके साथ 20-25 लोग थे। मौके पर भीड़ थी। मौके पर पहुंचे तो जानवर थे। जानवर ले जाने वाले चार लोग थे जिनमें से एक भाग गया था। वहां उपस्थित लोगों ने जानवरों को घेरकर रखा हुआ था। जानवर बंधे हुए नहीं थे। गणेश (अ.सा.-5), भीमराव (अ.सा.-6), संतोष (अ.सा.-7), गणेश (अ.सा.-8) ने यह बताया है कि वे पंचायत का कार्य करके घर की ओर लौट रहे थे। पुलिस वाले कुछ लिखापढ़ी कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

8 चितरंजन (अ.सा.-2), नरेश (अ.सा.-3), नारायण (अ.सा.-4), गणेश (अ.सा.-5), भीमराव (अ.सा.-6), संतोष (अ.सा.-7), गणेश (अ.सा.-8) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। जानवर किसके थे, कौन लाया था इस बात की भी उन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी चितरंजन और नरेश ने यह बताया है कि उन्होंने किसी भी अभियुक्तगण को जानवर ले जाते हुए नहीं देखा था। जानवर बंधे हुए थे। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है।

9 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-1) ने दिनांक 05.03.2014 को आमला में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना आमला से पत्र प्राप्त होने पर उसने ग्राम लालावाड़ी जाकर एक ब्लेक बैल, 6 सफेद, एक भूरा, एक ब्राउन, दो सफेद विथ ब्लेक शेड तथा एक बुल व्हाइट का परीक्षण किया था जिसमें सफेद विथ ब्लेक शेड बैल बीमार था तथा निमोनिया के चिन्ह

दिख रहे थे तथा शेष बैल परीक्षण पर स्वस्थ थे एवं सभी पशु कृषि कार्य के लिए उपयोगी थे। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) को प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा दिनांक 06.03.14 को उक्त बैलों में से एक सफेद विथ ब्लेक शेड उम्र 6 वर्ष के बैल की मृत्यु होने पर उसके शव का परीक्षण किया था जिसमें उसने पाया था कि उसके लंग्स में निमोनिया के बदलाव थे जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) का प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जानवरों को निमोनिया कई कारणों से हो जाता है और किसी भी जानवर के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाये गये थे।

10 बिसन सिंह (अ.सा.-9) का कहना है कि वह दिनांक 04.03.2014 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके अपराध क्र. 192/14 की केस डायरी प्राप्त होने पर उसने उक्त दिनांक को ही अभियुक्त नीलेश एवं देवचंद से 12 नग मवेशी जप्त कर (प्रदर्श पी-4) का जप्ती पत्रक तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त नीलेश एवं देवचंद को जप्त कर प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 का गिरफ्तारी पत्रक तथा दिनांक 25.03.2014 को अभियुक्त शेख शब्बीर को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-13) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। बिसनसिंह (अ.सा.-9) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्तशुदा पशु कृषि कार्य के लिए उपयोगी थे। किसी भी पशु को चोट के निशान नहीं पाये गये थे। जप्तशुदा जानवर किसके थे इसका पता किया था लेकिन पता नहीं चला। घटना के समय आसपास के किसी भी गांव से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि उनके पशु चोरी करके कहीं ले जाये गये हैं।

11 प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण ने यह बताया है कि जो लोग जानवर लेकर जा रहे थे वे भाग चुके थे। मौके पर केवल जानवर ही थी। समस्त साक्षीगण ने अभियुक्त नीलेश और देवचंद को न पहचानना व्यक्त किया है। अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है कि मौके पर अभियुक्तगण उपस्थित थे। उनके द्वारा ही जप्तशुदा जानवरों को मारते पीटते हुए परिवहन किया जा रहा था। ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि जानवरों को म.प्र. राज्य से बाहर अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन किया जा रहा था। किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण की पहचान नहीं की है। जप्तशुदा जानवरों के परीक्षण में कोई भी बाहरी चोट नहीं पायी गयी है। यद्यपि एक जानवर की मृत्यु हो गयी थी परंतु उसकी मृत्यु का कारण चिकित्सक साक्षी ने निमोनिया से होना संभावित

बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण के द्वारा ही जप्तशुदा जानवरों को अनावश्यक पीड़ा या यातना दी गयी एवं उनका वध करने के प्रयोजन से अन्य राज्य की ओर परिवहन किया गया।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश 8 नग पशु को इस रीति से परिवहन किया जिससे की वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हुए एवं गौवंश 8 नग पशु को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 8 नग पशु को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाते हुए परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण नीलेश, देवचंद एवं शब्बीर को पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 डी, म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6/9 तथा म.प्र. कृषि परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6/11 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 प्रकरण में जप्तशुदा 12 नग गौवंश में से एक गौवंशी की मृत्यु हो चुकी है तथा शेष 11 नग गौवंश गौतम गौशाला झाड़ेगांव ग्राम पंचायत टेमनी में भेजे गये हैं। चूंकि अभियुक्तगण की ओर से उन्हें सुपुर्दगी पर नहीं चाहा गया है और न ही उन्होंने जानवरों को अपने स्वामित्व का होना बताया है। अतः उक्त गौवंश गौशाला की सुपुर्दगी पर ही रखे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार गौवंश का निराकरण किया जावे।

15 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

